

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक

/जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञापि/2025-26

दिनांक 22.11.25

विज्ञापि

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद सुलतानपुर में संचालित बाल विकास परियोजना अखण्डनगर, बल्दीराय, दोस्तपुर, कूरभार, तथा पी0पी0 कमैचा के अन्तर्गत पूर्व विज्ञापित 158 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों में रिक्त रह गये 07 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	पूर्व चयन प्रक्रिया से आच्छादित रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों का विवरण				
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
01	02	03	04	05	06	07	08
1	सुलतानपुर	अखण्डनगर	0	0	1	0	1
2	सुलतानपुर	बल्दीराय	0	0	1	0	1
3	सुलतानपुर	दोस्तपुर	0	0	1	0	1
4	सुलतानपुर	कूरभार	2	0	1	0	3
5	सुलतानपुर	पी0पी0 कमैचा	1	0	0	0	1
योग			3	0	4	0	7

उपरोक्त रिक्त पदों की ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, सम्बंधित तहसील एवं विकास खण्ड तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

- 1-संविदा आधारित उक्त विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 2-आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
- 3-आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
- 4-चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिवत तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- 5-विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- 6-विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- 7-गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
- 8-उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

9-निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

10-आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शारनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

11-आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फॉर्म किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख / प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑफ़के/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक / पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। त्रुटिरहित आवेदन पत्र पोर्टल पर भरने के लिए सम्बंधित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12-ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 13.12.2025 होगी।

भवदीय,

(शरद कुमार त्रिपाठी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन: C-1548 / तददिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।

3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर।

4- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद सुलतानपुर।

5- समस्त उपजिलाधिकारी, सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

6- जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निशुल्क प्रकाशित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

7- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

8- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के साथ-साथ सम्बंधित तहसील एवं सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराएं।

9- सम्पादक, दैनिक जागरण तथा अमृत विचार सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम दरों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

10- सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

22/11/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सुलतानपुर।